प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
(समिति का गठन) नियमावली 2008
प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या– 439 /प्र0फी0नि0स0/सितम्बर /2010
लखनऊ: दिनांक 21 ~~अगस्त~~, 2010

आदेश

बाबू बनारसी दास नेशनल इस्टी० ऑफ टेक्नो० एण्ड मैने० लखनऊ में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण कराये जाने हेतु संस्थान द्वारा समिति कार्यालय में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त संस्थान को दिनांक 05-05-2010 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया एवं संस्था द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को सुना गया था तथा समस्त तथ्यों को संज्ञान में लेकर समिति द्वारा निम्नवत् शुल्क का निर्धारण किया गया था:–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
बाबू बनारसी दास नेशनल इस्टी० ऑफ टेक्नो० एण्ड मैने० लखनऊ।	बी० टेक० एम० बी० ए० एम० सी० ए० बी० आर्किटेक्चरल बी० एच० एम० सी० टी० बी० फार्मा०	रू० 83,600.00 रू० 83,600.00 रू० 83,600.00 रू० 83,600.00 रू० 83,600.00 रू० 83,600.00

2. उपरोक्त निर्धारित फीस की सूचना आदेश संख्या–175 दिनांक 25-06-2010 के द्वारा पंजीकृत डाक से संस्था को प्रेषित करते हुए समिति की अधिकृत बेवसाइट पर भी प्रदर्शित कर दी गयी थी।

3. प्रश्नगत संस्थान द्वारा शुल्क निर्धारण समिति के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–5088/10 बाबू बनारसी दास नेशनल इस्टी० ऑफ टेक्नो० एण्ड मैने० बनाम उ०प्र० राज्य योजित की गई थी। इस याचिका में दिनांक 27-08-2010 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है:–

Learned counsel for the petitioner has pointed out that the guidelines for fixing a fee structure for the private unaided technical educational institution has been fixed by the Hon'ble Apex Court in the matter of **Islamic Academy of Education and another Vs. State of Karnataka and Others (2003) 6 S.C.C. 697** and this Court has also dealt with the similar controversy in the

case of **Smt. Shakuntala Educational & Welfare Society and Others Vs. State of U.P. and Others 2009 (3) ESC, 1991 (All)**. It is, therefore, his submission that the petitioner is also entitled for the benefit as contained in paragraph Nos. 20 to 22 and 34 of the judgment.

Learned Standing Counsel appearing for the respondents states that it is not necessary to file a counter affidavit and the petition may be disposed of at this stage.

The admission and Fee Regulation Committee constituted by the State Government has, therefore, to reconsider the matter in the light of the aforementioned judgment.

Accordingly, the writ petition stands disposed of finally at the admission stage itself with the direction that the said committee will call for the record and reconsider the matter in the light of the aforementioned judgment and pass appropriate orders within two weeks from the date of production of certified copy of this order.

4. सेक्रेट्री, बाबू बनारसी दास नेशनल इन्स्टी० ऑफ टेक्नो० एण्ड मैनेजमेंट द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की प्रति अपने पत्र दिनांक 08-09-10 द्वारा प्रवेश और फीस नियमन समिति के कार्यालय में प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त निर्धारित शुल्क पर समिति द्वारा पुनः विचार किया जाय।

5. संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं समस्त बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित तथ्य पाये गये :–

(I) रिट याचिका संख्या 350/1993 इस्लामिक ऐकेडमी ऑफ एजूकेशन बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में दिनांक 14.08.2003 को पारित आदेश के अनुपालन में निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में निष्पंक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क निर्धारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में फरवरी 2004 में दो समितियों का गठन किया गया था।

(II) रिट याचिका संख्या– 5041/2005 पी0ए0 इनामदार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा व अन्य में दिनांक 12.08.2005 को पारित आदेश में निष्पंक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क निर्धारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित समितियों के बारे में निम्न व्यवस्था की दी गई थी :–

The committees regulating admission procedure and fee structure shall continue to exist, but only as a temporary measure and an inevitable passing phase until the Central Government or the State Governments are able to devise a suitable mechanism and appoint competent authority in consonance with the observations made hereinat ove.

(III) पी0ए0 इनामदार केस में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी उक्त व्यवस्था के क्रम में प्रदेश स्थित निजी क्षेत्र की व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में, प्रवेश और फीस नियमन हेतु उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 का प्रख्यापन किया गया एवं इसकी धारा 4 के अर्न्तगत निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश और फीस नियमन हेतु शासन के कार्यालय आदेश संख्या 2463/2008–सोलह–1–5 (डब्लू–48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा संवैधानिक (Statutory) समिति का गठन किया गया और इस समिति के गठन के साथ ही मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित अस्थायी समितियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

(IV) रिट याचिका संख्या–34(एम0बी)/2007 एसोशिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कालेजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 04.01.2007 को पारित आदेश द्वारा मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त अधिनियम की धारा 10(1) जिसमें समिति के कार्य का उल्लेख है, के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था। अतः इस स्थगनादेश के कारण समिति अपना कार्य नही कर पा रही थी।

(V) रिट याचिका संख्या–7905(एम/बी)/2008 आई0पी0एस0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 05.12.2008 को मा0 उच्च न्यायालय की डिवीजन बेन्च ने अधिनियम की धारा 10(1) पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये स्थगनादेश को हटाते हुए उक्त अधिनियम के अधीन गठित प्रवेश और फीस नियमन समिति को शुल्क

निर्धारण हेतु अनुमति प्रदान कर दिया था जिसके क्रम में समिति द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ किया गया एवं समिति कार्यालय के परिपत्र संख्या–261–697 प्र/फीस/नि0/09 दिनांक 25.03.2009 द्वारा उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी क्षेत्र में स्थापित विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली समस्त संस्थाओं के प्राचार्य/निदेशको से उनके संस्थान में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु आवश्यक प्रस्ताव/विवरण समिति कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त परिपत्र के विरूद्ध योजित रिट याचिका संख्या–29767/2009 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फाउन्डेशन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में याची द्वारा दिनांक 05.12.2008 के आदेश के Facts Conceal करते हुए मा0 उच्च न्यायालय से दिनांक 12.06.2009 का आदेश प्राप्त किया गया जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समिति के उक्त परिपत्र को स्थगित करते हुए याची संस्था को सत्र 2009–10 हेतु बी0टेक0 पाठ्यक्रम में रू0 75000/– तक फीस लेने की अनुमति प्रदान की थी। इस याचिका में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कर मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करते हुए उक्त आदेश दिनांक 12.06.2009 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया था जिस पर दिनांक 20.05.2010 को आदेश पारित किया, के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय ने अधिनियम के अधीन गठित संवैधानिक (Statutory) समिति को आगामी शैक्षिक सत्र (2010–11) से फीस निर्धारण करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

(VI) मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.12.2008 एवं 20.05.2010 के क्रम में उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अधीन गठित संवैधानिक (Statutory) समिति द्वारा नियमानुसार फीस का निर्धारण किया गया है।

(VII) मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में रिट याचिका संख्या–69561/2006 एवं रिट याचिका संख्या–46183 /2007 श्रीमती शकुन्तला एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.05.2009 जिसमें डब्लू0डी0वी0 पद्धति से ह्रास दी की गणना करने एवं 15 प्रतिशत विकास दर को शुल्क निर्धारण में लेने का सन्दर्भ दिया गया है, के प्रकाश में प्रकरण पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक

12.05.2009 रिट याचिका संख्या–350/1993 इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजूकेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा अन्तिरिम व्यवस्था हेतु दिनांक 20 फरवरी 2004 को मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में शुल्क निर्धारण हेतु गठित अस्थाई समिति के निर्णय जो शैक्षिक सत्र 2004–05 में निर्धारित फीस (सत्र 2004–05,2005–06 एवं 2006–07 के लिए प्रभावी) तथा सत्र 2007–08 में पुनः निर्धारित (सत्र 2007–08,2008–09 एवं 2009–10 के लिए प्रभावी) फीस के विरूद्ध योजित थी, के सन्दर्भ में पारित किया गया है जबकि मा0 उच्च न्यायालय की डिविजन बेन्च के निर्णय दिनांक 5.12.2008 के पश्चात अधिनियम की धारा 10 के अर्न्तगत गठित संवैधानिक (Statutory) समिति फीस निर्धारण हेतु प्रभावी हो गयी है। अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–69561/2006 एवं रिट याचिका संख्या–46183/2007 श्रीमती शकुन्तला एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.05.2009 को पारित आदेश अधिनियम के अर्न्तगत गठित संवैधानिक (Statutory) समिति के निर्णय पर लागू नही होते है।

(VIII) समिति एवं शासन द्वारा रिट याचिका संख्या–69561/2006 एवं 46183/2007 श्रीमती शकुन्तला एजूकेशनल एवं वेलफेयर सोसायटी व अन्य ने दिनांक 12.05.2009 को पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध विशेष अपील संख्या–448/2010 एवं 449/2010 योजित की गयी है जो कि लम्बित है जिसके दृष्टिगत याची श्रीमती शकुन्तला एजूकेशनल एवं वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित संस्थाओं की सत्र 2010–11 की फीस, प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डो के आधार पर करने के साथ ही मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2009 के अनुपालन में इस शर्त के साथ भी किया गया है कि निर्धारित फीस उक्त विशेष अपीलो में पारित मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

(IX) अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित संवैधानिक (Statutory) समिति के किसी निणर्य के विरूद्ध अपील की सुनवाई हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन भी शासनादेश संख्या–3393/सोलह–1–2009–5 (डब्लू–48)/2003 दिनांक

14.10.2009 द्वारा प्रश्नगत संस्था बाबू बनारसी दास नेशनल इन्स्टी ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट लखनऊ की फीस निर्धारण के पूर्व ही किया गया है। अतः यदि किसी विशेष बिन्दु पर याची संस्था बाबू बनारसी दास नेशनल इन्स्टी ऑफ टेक्नोलॉजी मैने. लखनऊ समिति के निर्णय से सन्तुष्ट नही है तो अपीलीय प्राधिकरण में जाकर उन बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपील प्रस्तुत करने का विकल्प संस्था के लिए उपलब्ध है।

(X) फीस निर्धारण समिति द्वारा पूंजीगत निवेश में ह्रास की प्रकिया एस0एल0एम0 पद्धति से गणना किये जाने का निर्णय इसलिए लिया गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना लम्बी अवधि के लिए होती है और संस्थाओं की स्थापना में अधिकांश पूंजीगत निवेश प्रारम्भ में किये जाते हैं, ताकि संस्था निर्धारित मापदण्डों को पूरा कर सके। अतः शुल्क निर्धारण के उद्‌देश्य से एस0एल0एम0 पद्धति के पूंजीगत ह्रास की गणना समिति ने उपयुक्त पायी थी। संस्था द्वारा प्रस्तावित डब्ल्यू0डी0वी0 पद्धति में प्रथम वर्ष में पूंजीगत ह्रास अधिकतम् होता है तथा बाकी के वर्षो में यह ह्रास कम होता जाता है। अतः शुल्क निर्धारण के लिए इस मापदण्ड को उचित नहीं पाया गया क्योंकि इस प्रकिया से संस्थाओं की फीस में भारी अन्तर आना सम्भावित है तथा शैक्षिक संस्थाओं में यह मापदण्ड कई विसंगतियां उत्पन्न कर सकता है। समिति द्वारा कुल आंकलित व्यय की धनराशि का 10 प्रतिशत विकास हेतु शुल्क ढांचे में प्राविधानित करना औचित्यपूर्ण है। इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक एवं अन्य के मामले में दिये गए निर्णय में मा0 उच्च न्यायालय ने विकास दर 6 से 15 प्रतिशत के मध्य करने के निर्देश दिये है। अतः समिति द्वारा शुल्क निर्धारण में वेतन आयोग द्वारा बढ़े वेतन तथा मुद्रा स्फीति के लिए अलग से प्राविधान करने के उपरान्त भविष्य में सम्भावित विकास कार्यो हेतु सस्थाओं को शुल्क ढांचे में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा उठाये गये बिन्दुओं एवं प्रस्तुत अभिलेखों पर पुनः विचार करने पर समिति द्वारा पूर्व निर्धारित शुल्क में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी। अतः समिति द्वारा संस्थान में चल रहे उक्त पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित उक्त शुल्क में किसी संशोधन का औचित्य नही पाया गया। समिति द्वारा उक्त निर्धारित शुल्क ही संस्था में लागू होगी। अतः सेक्रेट्री, बाबू बनारसी दास नेशनल इन्स्टी ऑफ

टेक्नो० एण्ड मैने० लखनऊ का प्रत्यावेदन दिनांक 08/09/10 एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

7. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस आदेश की प्रति सम्बंधित संस्था को उपलब्ध करा दी जाय तथा समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup.in पर भी डिस्प्ले की जाये।

(यू0 एस0 तोमर)
सदस्य
कुलसचिव,
गौतमबुद्ध प्राविधिक
विश्वविद्यालय

(अरविन्द नारायण मिश्र)
सदस्य
विशेष सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन

(वृन्दा सरूप)
अध्यक्ष
प्रमुख सचिव,
व्यावसायिक एवं प्राविधिक
शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक / प्राचार्य, बाबू बनारसी दास नेशनल इन्स्टी० ऑफ टेक्नो० एण्ड मैने० लखनऊ।
2. कुल सचिव, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. कुल सचिव, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर ।
4. अनुसचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक विभाग।
6. सम्बन्धित जिला अधिकारी।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 वी0एस0 सिंह)
सचिव